न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 88/2019

अनवान : –

1. रामचन्द्र पुत्र लेखराम उम्र 57 वर्ष जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जसवन्त सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति कारीगर सिंख निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. श्योदत पुत्र लेखराम उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. गोपीराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. कलावती पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. महेन्द्र पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता **सायल**
2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 13/05/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के साबिका ख0न0 232 की 25 बीघा भूमि सायल के पिता लेखराम को दिनांक 11.07.1968 को अलॉट की गई थी जिसका पटटा लेखराम के नाम जारी हुआ उक्त भूमि सायल के पिता के कब्जा व काश्त में थी सायल के पिता लेखराम के फौत होने के बाद उक्त भूमि पर सायल काबिज है। साबिका ख0न0 232 की 25 बीघा भूमि के नये नम्बर व बंदोबस्त विभाग द्वारा ख0न0 566 की 11 बीघा, 660 की 4 बीघा, 660/1 की 1.3040 हैक्ट, 660/2 की 0.6700 हैक्ट 658 की 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि कायम की गई।

ख0न0 566 की 11 बीघा, ख0न0 660 की 4 बीघा सही तौर से लेखराम के वारिसान के नाम दर्ज कर दी तथा ख0न0 660/1 की 1.2140 हैक्ट भूमि कतई गलत तौर से गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कर दी एवं ख0न0 660/2 की 0.6700 हैक्ट हनुमान वल्द फुसाराम कौम जाट के नाम से कतई गलत दर्ज की गई। हनुमान वल्द फुसाराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान गैरसायल स0 2 ता 4 है तथा ख0न0 658 की 0.8600 हैक्ट भूमि स्टेट ऑफ राज0 के नाम गलत तौर से दर्ज की गई है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान के नाम गलत दर्ज होने से गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सोनड़ी के 566 की 11 बीघा, 660 की 4 बीघा, 660/1 की 1.3[illegible], 660/2 की 0.6700 हैक्ट 658 की 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.19 18:54:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की ख0न0 262 मीन में 50 बीघा भूमि प्रेमाराम, मघाराम, रामजस, ख्यालीराम, इन्द्राज पि0 पतराम की भूमि थी तथा प्रेमा उर्फ पेमाराम ने दिनांक 23.09.1970 को ओमप्रकाश पुत्र दुलीचन्द जाति महाजन निवासी नोहर को अपना हिस्सा जरिये बैयनामा खरीद कर ली एवं उसके पश्चात उक्त भूमि नये ख0न0 में परिवर्तित होकर हाल ख0न0 660 में तब्दील हो गयी ओमप्रकाश के द्वारा दिनांक 01.08.1981 को मिन उत्तरदाता को 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बैयनामा करवा दिया मिन उत्तरदाता उक्त भूमि का खरीददार खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि उत्तरदाता की खरीदशुदा भूमि है जिसमे सायलान का कोई हक हिस्सा नही है। अप्रार्थी स0 2 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल का कथन है कि सायल के पिता को 25 बीघा आंवटित हुई है जबकि सायलान के पास 25.04 बीघा भूमि है अर्थात .04 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज है। गैरसायल स0 2 ता 5 के नाम दर्ज भूमि गलत तौर से दर्ज न होकर सही तौर से दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की ख0न0 566 की 11 बीघा, ख0न0 660 की 4 बीघा सही तौर से लेखराम के वारिसान के नाम दर्ज कर दी तथा ख0न0 660/1 की 1.2140 हैक्ट भूमि कतई गलत तौर से गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कर दी एवं ख0न0 660/2 की 0.6700 हैक्ट हनुमान वल्द फुसाराम कौम जाट के नाम से कतई गलत दर्ज की गई। हनुमान वल्द फुसाराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान गैरसायल स0 2 ता 4 है तथा ख0न0 658 की 0.8600 हैक्ट भूमि स्टेट ऑफ राज0 के नाम गलत तौर से दर्ज की गई है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान के नाम गलत दर्ज होने से गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की ख0न0 262 मीन में 50 बीघा भूमि प्रेमाराम, मघाराम, रामजस, ख्यालीराम, इन्द्राज पि0 पतराम की भूमि थी तथा प्रेमा उर्फ पेमाराम ने दिनांक 23.09.1970 को ओमप्रकाश पुत्र दुलीचन्द जाति महाजन निवासी नोहर को अपना हिस्सा जरिये बैयनामा खरीद कर ली एवं उसके पश्चात उक्त भूमि नये ख0न0 में परिवर्तित होकर हाल ख0न0 660 में तब्दील हो गयी ओमप्रकाश के द्वारा दिनांक 01.08.1981 को मिन उत्तरदाता को 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बैयनामा करवा दिया मिन उत्तरदाता उक्त भूमि का खरीददार खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी स0 2 ता 5 ने बहस में निवेदन किया की सायल का कथन है कि सायल के पिता को 25 बीघा आंवटित हुई है जबकि सायलान के पास 25.04 बीघा भूमि है अर्थात .04 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज है। गैरसायल स0 2 ता 5 के नाम दर्ज भूमि गलत तौर से दर्ज न होकर सही तौर से दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु दावा पेश किया गया है जबकि अप्रार्थीगण तो खरीददार है अप्रार्थीगण द्वारा जरिये बैयनामा उक्त वाद भूमि प्रेमा उर्फ प्रेमाराम वल्द भादरराम से ख0न0 262 मिन की भूमि खरीद की गई है। उक्त बैयनामा आदिनांक तक वैध है एवं प्रार्थी द्वारा प्रेमा उर्फ पेमाराम या उसके वारिसान को पक्षकार ही नही बनाया है एवं प्रार्थी को ख0न0 232 मिन की भूमि आवंटित हुई थी न की ख0न0 262 की भूमि। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.19 18:54:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 660/1 की 1.2140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 व ख0न0 660/2 की 0.6700 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 ता 4 व ख0न0 658 की 0.8600 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि ख0न0 566 की 11 बीघा, ख0न0 660 की 4 बीघा सही तौर से लेखराम के वारिसान के नाम दर्ज कर दी तथा ख0न0 660/1 की 1.2140 हैक्ट भूमि कतई गलत तौर से गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कर दी एवं ख0न0 660/2 की 0.6700 हैक्ट हनुमान वल्द फुसाराम कौम जाट के नाम से कतई गलत दर्ज की गई। हनुमान वल्द फुसाराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान गैरसायल स0 2 ता 4 है तथा ख0न0 658 की 0.8600 हैक्ट भूमि स्टेट ऑफ राज0 के नाम गलत तौर से दर्ज की गई है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है एवं प्रार्थी द्वारा विक्रेता को पक्षकार ही नही बनाया गया है। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड बैयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है। उक्त बैयनामा के खंडन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है एवं प्रार्थी को विक्रता को भी उक्त प्रकरण में पक्षकार बनया जाना आवश्यक था। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 27.06.2019 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.19 18:54:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर